20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. भारत IN पाँच रुपये FIVE RU
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग 951-III-16

प्रकरण क्र.   /2016/निगरानी

1. कप्तान सिंह
2. बालराम
3. मलखान सिंह पुत्रगण स्व. श्री लालाराम निवासी– ग्राम नंदपुरा, तहसील, नरवर, जिला शिवपुरी म.प्र. ....**आवेदकगण**

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी
2. अवधेश कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी– ग्राम नंदपुरा, तहसील, नरवर, जिला शिवपुरी म.प्र.

................**अनावेदकगण**

<u>निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.03.2016 प्रकरण क्र. 18/अ–70/2015–16 एवं कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 04.02.2016 पारित न्यायायल तहसीलदार नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, ग्रम नंदपुरा में स्थित आबादी सर्वे 230 रकवा 3.37 हैक्ट. है जिससे लगा हुआ आवेदकगणों के स्व. बाबा रतनलाल के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूमि सर्वे क्रमांक 231 रकवा 0.130 हैक्ट. स्थित है एवं सर्वे नम्बर 231 से लगा हुआ अनावेदक क्रमांक 2 अवधेश कुमार का भूमि सर्वे नम्बर 232 स्थित है।
2. यहकि, आवेदकगणों का मकान स्व. बाबा रतनलाल के समय से 80 वर्ष पूर्व से ही बना हुआ है जिसनें ग्राम पंचायत द्वारा भी पंचनामा दिया गया है जिस पर आवेदकगण 80 वर्षो से निवास करते चले आ रहे है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 957–तीन/2016 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 शासन के पैनल अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्र0 2 एस0पी0 धाकड़ उपस्थित । प्रकरण ग्राह्यता बिन्दु पर श्रवण किये गये। 2/ आवेदक के द्वारा न्यायालय तहसीलदार नरवर, जिला–शिवपुरी के प्र0 क्र0 18/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2016 एवं कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 04.02.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया कि ग्राम नंदपुरा में स्थित आबादी सर्वे 230 रकबा 3.37 हैक्टेयर है, जिससे लगा हुआ आवेदकगणों के स्व0 बाबा रतनलाल के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूमि सर्वे क्रमांक 231 रकबा 0.130 है0 स्थित है, एवं सर्वे नम्बर 231 से लगा हुआ अनावेदक क्र0 2 अवधेश कुमार का भूमि सर्वे नम्बर 232 स्थित है । अनावेदक क्र0 2 अवधेश कुमार द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत अपनी खाते की भूमि पर कब्जा हटाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नरवर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन पत्र का अवलोकन तथा पेशी दिनांक 15.02.2016	

नियत किया जाकर आवेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । तत्पश्चात दिनांक 11.03.2016 को अनावेदक के द्वारा संहिता की धारा 250 की उपधारा 3 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2016 स्थिर रखे जाने योग्य है ।

4/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य